amended to specifically provide that such of the components shall be certified for which standards have been duly notified by the Central Government.

(8) Rule 126 provides for prototype testing of every motor vehicle. However, as per definition of motor vehicle included in section 2(28), trailer is also a motor vehicle but no such prototype is necessary for a trailer. The slight amendment has, therefore, been proposed in this Rule to take the trailers out of the purview of prototype test.

(9) Rule 131, 132 and 133 have also been suitably modified with a view to clearly lay down the responsibilities of the consigner/owner and driver of the goods vehicles transporting hazardous goods.

(c) and (d) The amendment to rules is mainly to simplify the procedures and remove the difficulties in implementing the rules.

Acquiring Ships at Higher Cost by Shipping Corporation of India

113. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state what action Government have taken on CAG's report on the Shipping Corporation of India for acquiring ships at an extra cost of over Rs. 4 crores ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): A paragraph on 'Acquisition of ships at avoidable extra cost by Shipping Corporation of India' has been included in the report of the Comptroller and Auditor General of India Union Government No. 3 (Commerical) of 1991. The Action Taken Note on the para is under preparation for submission to Lok Sabha Secretariat.

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निधियों का वापस किया जाना

114. श्री राम जेठमलानी :
श्री रंजनीत सिंह :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम, आवंटित निधियों के एक बड़े भाग को उस अवस्था में भी वापस करती है जब कि उसकी हानि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने प्रतिशत आवंटित निधियां वापस की गई थीं और इन वर्षों के दौरान हानियों में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आवंटित निधियों को वापस करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम के बेहतर वित्तीय प्रबंध के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं ।
(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उत्पादकता बढ़ाने, प्रति यूनिट लागत को कम करने, किफायत संबंधी उपाय लागू करने, कर्मीदल के व्यवहार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ताकि राजस्व वसूली में वृद्धि की जा सके, कार्यशील हानि कम की जा सके और रूटों को युक्तिसंगत बनाया जा सके ।

दिल्ली परिवहन निगम के पुनर्गठन हेतु एक अन्तर सम्बद्ध पैकेज तैयार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का भी गठन किया गया है ।